आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

18/-1.2.4

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 45/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता चन्द्र सिंह, पिता–झमन सिंह, ग्राम–जमुहारी, थाना–मेहन्दिया, अंचल–कलेर, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
31	548	01 कट्टा	उत्तर–नीज, दक्षिण–नथुनी सिंह पूरब–रधुनन्दन सिंह, पश्चिम–रास्ता

मौजा–जमुहारी, थाना नं०–141, थाना–मेहन्दिया, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 840 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, कलेर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया तथा अंचल अधिकारी, कलेर से भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। दाता के तरफ से कोई वाद में उपस्थित नही हुए और ना ही इस वाद में किसी के द्वारा आपति दर्ज की गई। अंचल अधिकारी, कलेर के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, कलेर के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में न्यायालय से कब्जाधारी अजय पासवान, पिता–भुनेश्वर पासवान एवं हैदर अंसारी, पिता–पिलारी मियाँ को नोटिस निर्गत किया गया। कब्जाधारीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

भूदान दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, कलेर का जॉच प्रतिवेदन तथा कब्जाधारीगण का बिहार भूदान यज्ञ कमिटी प्रमाण पत्र कागजात का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र दाता का हस्ताक्षर है। दीप नारायण सिंह वो कैलास सिह का नाम गवाह में अंकित है। दाता द्वारा भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से दिनांक 28.03.1954 को वर्णित भूमि दान दिया गया है। अंचल अधिकारी, कलेर ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि वर्णित भूमि का खतियान उपलब्ध नही है। अजय पासवान, पिता–भुवनेश्वर पासवान एवं हैदर अंसारी, पिता–पिलारी अंसारी, ग्राम–जमुहारी के नाम से जमाबंदी कायम है। जमाबंदीधारक का दाता से कोई संबंध नही है। भूमि का किस्म भीठ हैं। भूमि रैयति खाता की है जो गैरमजरूआ आम, खास, कैसरे

हिन्द, भूहदबंदी, धार्मिक न्यास, भूहदबंदी, वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान आदि से मुक्त है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि दान की तिथि को विषयगत भूमि पर भूदाता का Right Titel Interst निहित था।

अजय पासवान एवं हैदर अंसारी का कहना है कि खाता संख्या–31, खेसरा संख्या–548, रकवा–01 कटटा भूमि भूदान दान पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है एवं कब्जाधारी हैदर अंसारी ने कहा है कि खाता संख्या–22, खेसरा संख्या–548/2, रकवा–02 डी० का भूदान पर्चा दिनांक 04.06.1988 को प्राप्त हुआ है एवं अजय पासवान को 04 डी० भूमि दिनांक 04.06.1988 को प्राप्त हुआ है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार पटना के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, मौजा एवं रकवा अंकित है से संबंधित मामलों में संपुष्टि की कार्यवाई की जायेगी।

कब्जाधारी श्री अजय पासवान, पिता–भुनेश्वर पासवान को गॉव वितरण सूची संख्या–09 दिनांक 04.06.1988 द्वारा खाता संख्या–22, खेसरा संख्या–548/1, रकवा–04 डी० भीठ एवं हैदर अंसारी, पिता–विरअली को खाता संख्या–22, खेसरा संख्या–548/2, रकवा–02 डी० परती गॉव वितरण सूची संख्या–23 दिनांक 04.06.1988 द्वारा प्राप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, कलेर एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार पटना के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 के आलोक में भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि खाता संख्या–31, खेसरा संख्या–548, रकवा–01 कटटा भूमि की संपुष्टि की जाती है। आदेश की एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 18.01.21

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

(हस्ताक्षर) 18.01.21

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।